Slam

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर जिला जबलपुर

राजस्व प्रकरण क्रमांक 005/अ–23/2023–24

श्रीमति शकुन्तला गौड़ पति दिलीप गौड़, — आवेदिका
पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़ उम्र 40 वर्ष,
निवासी रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत
ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1)– ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता श्री द्वारका प्रसाद त्रिपाठी, — अनावेदकगण
निवासी संत नगर ग्वारीघाट, पोलीपाथर जिला जबलपुर
(2)– रजिस्ट्री प्रारूपकर्ता– उमादेवी सिंह,
निवासी एच.एन. 1830, न्यू 1840/बी, जोगिनी नगर
रामपुर वार्ड शंकर शाह नगर जबलपुर
(3)– नंदिता श्रीवास्तव उप पंजीयक,
उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर–2,
(4)– भारतलाल मेहरा पिता श्री झुन्नीलाल मेहरा
निवासी 183, खम्हरिया कटनी (म.प्र.)
(5)– नारायण प्रसाद श्रीवास्तव पिता गौरीशंकर श्रीवास्तव
निवासी एच.एन. 2054, रेल्वे रोड कस्तूरबा नगर
कांचघर जबलपुर (म.प्र.)
(6)– रोहित खरे पटवारी, हल्का नंबर
विवादित भूमि के नक्शा निर्माता

आदेश

(पारित दिनांक 15/02/2025)

प्रकरण में आवेदिका द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख)(3) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–

आवेदिका श्रीमति शकुन्तला गौड़ पति दिलीप गौड़, पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़ निवासी रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर के द्वारा ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर–2, स्थित भूमि खसरा नंबर 27/2 रकबा 0.8000 हेक्ट. भूमि को अनावेदक ओंमप्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी निवासी संत नगर ग्वारीघाट पोलीपाथर जबलपुर एवं अन्य 05 को विक्रय कर दी गई। जबकि श्रीमति शकुन्तला गौड़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। आवेदिका के साथ छलकपटकर फर्जी दस्तोवज तैयार कर छल–कपटकर कर भूमि

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय करने बावद आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 165 सहपठित धारा 170(ख)(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 वास्ते कपटपूर्ण अंतरण को शून्य घोषित किये जाने बावद् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका शकुंतला गौड़ जाति की महिला है आवेदिका को उसके पिता स्व.श्री नन्हेलाल द्वारा जीवन यापन हेतु ग्राम रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित कृषि भूमि जिसका प.ह.नं. पुराना 28 नया 36, खसरा नंबर 27/2 रकवा 0.8000 हेक्ट. जो कि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है में उक्त भूमि पर कृषि कार्य करती हूँ मेरे द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का विक्रय नहीं किया है अनावेदकगणों के द्वारा धोखा–धड़ी करते हुये मेरी उपरोक्त कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 28.04.2023 को जो बैनामा रजिस्ट्रर्ड कराया गया है वह फर्जी है बैनामें में जिस महिला की फोटो एवं हस्ताक्षर दर्शाये गये है वह मैं नहीं हूँ वह पूर्णतः फर्जी है उक्त संपूर्ण कार्यवाही फर्जी है मेरे नाम के आगे शकुंतला गौड़ की जगह राजपूत लिखकर जो रजिस्ट्री की गई है वह पूर्णतः फर्जी है। यह कि मेरे द्वारा रजिस्ट्रीय बावद् कोई रकम प्राप्त नहीं की गयी है संपूर्ण रजिस्ट्री पूर्णतः फर्जी है मैं क्रेता एवं विक्रेतागणों को नहीं जानती हूँ मेरी जमीन की जो रजिस्ट्री की गई है वह फर्जी है उसे रद्द कर शून्य घोषित किये जाने की दया की जावें। यह कि, मुझको को रजिस्ट्री की जानकारी पटवारी के माध्यम से प्राप्त हुई और मेरे द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय से बैनामा की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 10.08.2023 को प्राप्त कर पुलिस अधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष जबलपुर को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गयी थी जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ पेश की जा रही है। जिसके श्रवण के क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। यह कि रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार नंदिता साक्षी अनावेदक क्रमांक 3, 4, 5 एवं पटवारी 6 के द्वारा मिलकर जो रजिस्ट्री की गयी है वह पूर्णतः फर्जी है उसे रद्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। यह कि आवेदिका आदिवासी गौड़ जाति की महिला है उसे अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है इस कारण अनावेदकगणों के द्वारा की गयी धोका–धड़ी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की दया की जाये।

उक्त संबंध में आवेदिका लेख किया गया है कि आवेदिका का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगणों द्वारा दिनांक 28.04.2023 को जो बैनामा रजिस्ट्रर्ड करवाया गया है वह पूर्णतः फर्जी एवं असत्य है शकुंतला गौड़ के द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गयी है शकुंतला गौड़ के नाम के आगे राजपूत लिखकर जो बैनामा लिखा गया है उसे पूर्णतः शून्य घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में अनावेदकगण (1) ओम प्रकाश त्रिपाठी, संत नगर ग्वारीघाट जबलपुर (2) नारायण प्रसाद श्रीवास्तव, एचएन 2054 रेल्वे रोड कस्तूरबा नगर कांचघर जबलपुर जबलपुर, (3) राजिस्ट्री प्रारूपकर्ता उमादेवी सिंह, निवासी एच.एन. 1830, न्यू 1840/बी जोगिनी नगर रामपुर वार्ड शंकर शाह नगर जबलपुर (4) नंदिता श्रीवास्तव, उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय जबलपुर, को नोटिस जारी किया गया। किन्तु अनावेदकगण सूचना उपरांत न्यायालय में उपस्थित न होने पर प्रकरण एक पक्षीय किया गया।

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में तहसीलदार जबलपुर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 26/11/2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका श्रीमति शकुन्तला गौड़ पति दिलीप गौड़, पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़ ने उनकी भूमि ग्राम रामपुर नकटिया सर्वे 27/2 रकवा 0.80 हेक्ट. को अनावेदक ओमप्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी सा. संतनगर ग्वारीघाट पोलीपाथर एवं अन्य–5, के द्वारा छलकपट कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिनांक 08.04.2023 को उसकी भूमि का विक्रय पत्र संपादित करा लिया है। ई रजि. विक्रय पत्र क्रमांक MP182552023 A11780444 दिनांक 28.04.2023 से शकुंतला गौड़ के स्थान पर विक्रेता का नाम शकुंतला राजपूत लिखकर विक्रय पत्र संपादित कराया गया है। ग्रामवासियों के समक्ष विक्रय पत्र की जांच की गई जिसमें ग्रामवासियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ग्राम रामपुर नकटिया की भूमि सर्वे नंबर 27/2 रकवा 0.80 हेक्ट. भूमि शकुंतला गौड़ पिता नन्हेलाल गौड़ की संपत्ति है जिसका उन्होने किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया है। अतः उक्त विक्रय पत्र के छलकपटपूर्वक शकुंतला गौड़ के स्थान पर शकुंतला राजपूत लिखकर विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि सर्वे नंबर 27/2 रकवा 0.80 हेक्ट. में आवेदिका शकुंतला गौड़ पति दिलीप गौड़ का भौतिक कब्जा पाया गया है। ग्राम रामपुर नकटिया में राजपूत जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते। उक्त विक्रय पत्र छलकपटपूर्वक कूटरचना करके दस्तावेज तैयार करके निष्पादित कराया जाना प्रतीत होता है जिसको निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2024 से सहमत होते हुये उपर्युक्त विवेचना में पाया गया कि अनावेदक ओम प्रकाश त्रिपाठी पिता द्वारका प्रसाद त्रिपाठी निवासी संत नगर, ग्वारीघाट रोड, पोलीपाथर, जिला जबलपुर द्वारा आवेदिका श्रीमति शकुंतला राजपूत पिता स्व.श्री नन्हेलाल राजपूत निवासी 1528, त्रिमूर्ति नगर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की भूमि ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. 28 (पटवारी हल्का ऐंठाखेड़ा) रा.नि.मं. जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 27/2 रकवा 0.8000 हेक्ट. भूमि छल–प्रपंच कारित कर पहले भूमि कूट रचना कारितकर पंजीयक कार्यालय में ई पंजीकरण संख्या MP182552023A11780444 पंजीकरण की तिथि दिनांक 28/04/2023 का पंजीयन अपने नाम से करा लिया गया। आदिम जनजाति सदस्य की भूमि को बिना सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर से म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भूमि का बैनामा निष्पादन कराये जाने का प्रावधान है जो आवेदक द्वारा पंजीयन के पूर्व कलेक्टर महोदय, से अनुमति प्राप्त किये बिना ही बैनामा क्रमांक MP182552023A11780444 का निष्पादन अपने पक्ष में कराया गया है।

प्रकरण में आवेदिका शकुन्तला गौंड द्वारा अपने परिवार के सदस्य ब्रजेश सिंह का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इस न्यायालय की दायरा पंजी वर्ष 2004–05 में राजस्व प्रकरण 3519/बी–121/2004–05 जारी दिनांक 01/08/2005 में मिलान करने पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि होती है। जिसे म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है। साथ ही *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में*

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधान है कि धारा 170(ख) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी के अंतरण ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा।

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 में न्याय दृष्टांत है कि– शून्य अन्तरण– यदि गैर आदिवासी ने अपने लाभ के लिये आदिवासी की जमीन को आदिवासी के नाम पर अंतरण करा लिया है तो ऐसे मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी कर सकता है और बिक्री को शून्य घोषित कर सकता है। जांच करने बाद बिक्री को शून्य घोषित किया गया उसे उचित माना गया। रिट याचिका खारिज की गई। **{बसिया वि. धोलिया तथा अन्य 1997 रा.नि. 273 (न्या. श्री आर.एस. गर्ग म.प्र. हा.को)}**

अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मै अभिषेक सिंह ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (ग्रामीण), जबलपुर बैनामा क्रमांक MP182552023A11780444 पंजीयन दिनांक 28.04.2023 आकृत एवं शून्य घोषित करता हूँ।

उक्त प्रश्नाधीन भूमि में राजस्व अभिलेख पूर्ववत शकुन्तला गौंड पिता नन्हेलाल जाति आदिवासी पता सा.देह रामपुरनकटिया जबलपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी के नाम प्रतिवर्तित की जाती है। तहसीलदार जबलपुर से आदेशानुसार कब्जे की पुष्टि कराई जावें।

आदेश आज दिनांक......14.....01.2025 को खुली अदालत में मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की पदमुद्रा मोहर से जारी किया गया।

(अभिषेक सिंह ठाकुर)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

पृष्ठा.क्र. /　　　/प्र–1/अ.वि.अ/2025　　　जबलपुर, दिनॉक　　　/02/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जबलपुर को उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. तहसीलदार जबलपुर की ओर आदेश के पालनार्थ एवं छलकपट की जानकारी सम्बधित थाना प्रभारी को दी जाकर मामला दर्ज कराया जावें।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर–2, जिला जबलपुर को बैनामा MP182552023A11780444 पंजीयन दिनांक 28.04.2023 को निरस्त किये जाने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

CASE 0005

Scanned with OKEN Scanner